(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : Tr. No 15/2020 प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : M/s [illegible] V/s सुनील प्रसाद CGRERA-P-Exem-PRO-2019-00710

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
13-7-2021	प्रकरण आज V.C के माध्यम से सुनवाई में लिया गया।	

आवेदकगण द्वारा श्री डेगेश्वर बंजारे अधिवक्ता ।
अनावेदक द्वारा श्री शुक्ला अधिवक्ता।

आवेदकगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री डेगेश्वर बंजारे ने आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन में आवेदकगण ने निवेदन किया है कि प्रकरण में अनावेदक सुनील प्रसाद द्वारा शपथ पत्र इस बाबत् प्रस्तुत किया है कि वह माननीय रेरा के आदेश दिनांक 30.01.2020 के समयाविधि में रजिस्ट्री बैनामा नहीं करा पाया है तथा वर्तमान में रजिस्ट्री बैनामा कराने में सक्षम नहीं हैं तथा बालाजी ड्रीम सिटी पर लगी रोक को हटाने में उसे कोई आपत्ति नहीं हैं। इस कारण आवेदकगण निष्पादन आवेदन पत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं और प्रकरण नस्तीबद्ध किया जावे।

प्रकरण का अवलोकन किया गया अवलोकन से दर्शित है कि माननीय प्रधिकरण द्वारा दिनांक 30.01.2020 को आदेश पारित करते हुए उभयपक्षों को यह निर्देश दिया था कि अनावेदक कमांक–1 (आवेदक) दो माह के भीतर प्रश्नाधीन भूखण्डो का रजिस्ट्री बैनामा आवेदकगणों के पक्ष में निष्पादित करना सुनिश्चित करें तथा आवेदकगण (अनावेदक) भी शेष राशि का भुगतान अनावेदक क–1 (आवेदक) को दो माह के भीतर करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समय अवधी में अन ावेदक सुनील प्रसाद अपने पक्ष में विकय पत्र निष्पादित कराने में असमर्थ रहा हैं। इस संबंध में उसके द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें उसने शपथ पर यह कथन किया है कि कोविड–19 महामारी के कारण उसके पास भुगतान हेतु शेष राशि की व्यवस्था नहीं है और उसे इस हेतु एक वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किया जावे तथा आवेदकगण के प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट में प्राधिकरण द्वारा कय–विकय पर लगाई गई रोक पर उसे कोई आपत्ति नहीं है। अनावेदक यदि चाहे तो शेष वांछित अनुतोष के लिए उपयुक्त फोरम में कार्यवाही कर सकता है।

चूंकि आवेदकगण प्रस्तुत निष्पादन आवेदन पत्र पर बल नहीं देना चाहते हैं परिणमत: निष्पादन आवेदन खारिज किया जाता हैं।

प्रकरण कि कार्यवाही समाप्त। परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जाए।

(दीपा कटारे)
न्याय निर्णायक अधिकारी
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर